



2026:AHC-LKO:12601-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
सिविल विविध पुनर्विलोकन आवेदन सं. - 15/2026

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, लखनऊ के माध्यम से और एक अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

मेसर्स श्री राधा रमन एंटरप्राइजेज मालिक अमित सिंह के माध्यम से

... विरोधी पक्ष (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. इस पुनर्विलोकन आवेदन में हमारे आदेश दिनांक 16.12.2025 के अनुसार प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को नोटिस भेजी जा चुकी है, लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हुआ है। आवेदकों ने पुनर्विलोकन की मांग करते हुए नोटिस तामील होने का शपथपत्र पहले ही दाखिल कर दिया है।

2. यह पुनर्विलोकन याचिका राज्य द्वारा रिट कर सं. 283/2025 में पारित किए गए निर्णय के पुनर्विलोकन की मांग करते हुए दाखिल की है। उक्त याचिका को इस आधार पर स्वीकृति दी गई थी कि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद 'अधिनियम 2017' कहा जाएगा) की धारा 73(9/10) के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों द्वारा पारित किए गए नोटिस या आदेश, निर्णय में देखे गए अधिसूचना के कारण समय बाधित हो गए थे, जिसके अंतर्गत पिटीशन को अलग-अलग दिनांको पर मंजूरी दी गई थी। लेकिन, बाद में रिट कर सं. 316/2025 वाली एक रिट याचिका की सुनवाई करते समय, जब रिट कर सं. 57/2025 और रिट कर सं. 264/2024 में पारित किए गए आदेश का लाभ मांगा गया, जिसे जैसा कि बताया गया है, उपरोक्त आधारों पर स्वीकृति दी गई थी, तो यह देखा गया कि दिनांक 21.07.2022 की एक अधिसूचना उन रिट याचिका पर निर्णय करते समय न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था। उक्त अधिसूचना पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित राय दी।

"5. उपर्युक्त अधिसूचना पर विचार करने पर हम पाते हैं कि यद्यपि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की दिनांक 03.02.2018 की अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरण दाखिल करने की सामान्य तिथि 31.12.2018 को बढ़ाकर दिनांक 05.02.2020 कर दी गई थी और उक्त अधिसूचना के आधार पर धारा 73 की

उपधारा 10 में उल्लिखित तीन वर्ष की अवधि दिनांक 05.02.2023 को समाप्त हो जाती, जिसका अर्थ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए धारा 73 की उपधारा 9 के अंतर्गत आदेश दिनांक 05.02.2023 तक पारित किया जा सकता था, यद्यपि दिनांक 21.07.2022 की अधिसूचना, जो दिनांक 01.03.2020 से प्रभावी हुई, के मद्देनजर धारा 73 की उपधारा 10 के अंतर्गत धारा 73 की उपधारा 9 के अंतर्गत आदेश जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत करों की वसूली के लिए, जिसका भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है. या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या उपयोग किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अवधि को 30 सितंबर, 2023 तक बाहर रखा गया था और राज्य सरकार की दिनांक 24.04.2023 की अधिसूचना द्वारा, जो दिनांक 31.03.2023 से प्रभावी हुई, उक्त समय सीमा को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 31.12.2023 तक बढ़ा दिया गया था।

6. इस मामले में विवादित आदेश दिनांक 13.12.2023 को पारित किया गया था, इसलिए यह उपरोक्त संदर्भित अधिसूचनाओं द्वारा विस्तारित समय सीमा के भीतर पारित किया गया है। उक्त अधिसूचनाओं को चुनौती नहीं दी गई है।

3. स्पष्टतः दिनांक 21.07.2022 के उक्त अधिसूचना के कारण, यद्यपि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की दिनांक 03.02.2018 की अधिसूचना के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरण दाखिल करने सामान्य तिथि 31.12.2018 को बढ़ाकर दिनांक 05.02.2020 तक दी गई थी और उक्त अधिसूचना के आधार पर, धारा 73 की

उपधारा 10 में उल्लिखित तीन वर्ष की अवधि दिनांक 05.02.2023 को समाप्त हो जाती, जिसका अर्थ यह है कि वर्ष 2017-18 के लिए धारा 73 की उपधारा 9 के अंतर्गत आदेश दिनांक 05.02.2023 तक पारित किया जा सकता था, उसके बाद नहीं। यद्यपि दिनांक 21.07.2022 की उपरोक्त अधिसूचना के मद्देनजर, जो दिनांक 01.03.2020 से प्रभावी हुई, धारा 73 की उपधारा 10 अंतर्गत निर्दिष्ट समय सीमा कर अवधि, अर्थात् आकलन वर्ष 2017-18 के संबंध में अदा न किए गए या कम अदा किए गए करों या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली के लिए अधिनियम 2017 की धारा 73 की उपधारा 9 के अंतर्गत आदेश जारी करने की समय-सीमा 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई थी और राज्य सरकार की दिनांक 24.04.2023 की अधिसूचना द्वारा, जो दिनांक 31.03.2023 से प्रभावी हुई, उक्त समय-सीमा को दिनांक 31.12.2023 तक और बढ़ा दिया गया। प्रतिवादी-याचिकाकर्ता पुनर्विचार का विरोध करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ है।

4. उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, जिसके द्वारा उपरोक्त रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकृति दी गई थी कि धारा 73 के अंतर्गत कार्रवाई का समय बाधित हो गया था, यह स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उक्त रिट याचिका में विवादित आदेश दिनांक 31.12.2021 से पहले पारित किया गया था और पुनर्विलोकन के अंतर्गत निर्णय दिनांक 21.07.2022 और दिनांक 24.04.2023 के अधिसूचना की जानकारी के अभाव में दिया गया था। तदनुसार, उस निर्णय का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए। हम तदनुसार उसका पुनर्विलोकन करते हैं और उसे वापस लेते हैं। पुनर्विलोकन आवेदन **स्वीकार** किया जाता है। इसलिए, जिस रिट



याचिका में पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार किया गया है, उसे उसके मूल क्रमांक पर बहाल किया जाता है और अब इसे उठाए गए अन्य आधारों, यदि कोई हों, पर विचार करने के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। अपील के वैधानिक उपाय सहित सभी दलीलें विचार के लिए खुली हैं।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

17 फरवरी 2026

एमवीएस/-

Translated Version. Not for Legal Use.